


9/6

आजकल पत्रिकाओं के माध्यम से ही
हमें शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक
विषयगत आलेख प्रस्तुत करने पर ध्यान देना
पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षण के माध्यम से
नतीजा आना। पत्रिकाओं के माध्यम से ही
जाने ही पत्रिकाओं के माध्यम से ही
वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली को जानने के लिए
कोई भी शिक्षण जानकर सुझाव देना।

मूल मान में कितनी
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठारसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....कोटकासिम
पीठारसीन अधिकारी:- बलवन्तरिंह लिग्री, आरएएस




उन्वान
थावरिया वनाम मदनलाल

दाया बाबत . दाया इश्तकरारहक गय दुरुरती तकारामा अन्तर्गत घारा 08,53,108 राजकाशत0 अधिव1955

मुकदमा नम्बर :-114/06.06.2012
निर्णय दिनांक:- 01.07.2016

वादी की ओर से.....वादी कमील.....की व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.07.2016 को बलवन्तरिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- 1- थावरिया पुत्र हेतराम जाति गूजर निवारी चाचियावास को आराजी खसारा नम्बर 54/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर लगान 0.42 पैसा, 04 रकबा 0.18 हैक्टेयर लगान 2.00 रुपये कित्ता 2 रकबा 0.25 हैक्टेयर पर तथा 2- मदनलाल पुत्र चैनाराम व रामरिंह रतीराम पि0 सरदारा समभाग, अमररिंह पुत्र हरला बनेरिंह रामरिंह पुत्रान सुलतान समभाग, ओगप्रकाश नन्दराम पुत्रान रामरिया महादेई सरवती बेवा समरिया चमेली जाना मुनेश बनारसी सोमा भुतेरी सुनीता सविता पुत्रीयान समरिया समभाग, श्रीया लालचन्द पि0 छीतर समभाग, सूरजा पुत्र खेमला समभाग कोम गूजर साकिन चाचियावास को आराजी खसारा नम्बर 53 रकबा 53 हैक्टेयर, 54/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 56 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 218 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.59 हैक्टेयर लगान 3.74 रु0 पर, 3- रतनलाल नदीरा नत्थू हि0 1/12 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम मु0वि0क0 रामजीलाल नदीरा 1/12 हि0 राहिन पीएनबी शाखा पुर मु0वि0क0 किशनलाल मूलिया नदीरान नत्थू 1/12 हि0 दर 1/3, अमररिंह पुत्र हरला 1/3 हि0, बनेरिंह रामरिंह पुत्रान सुलतान समभाग 1/3 हि0, कोम गूजर साकिन चाचियावास हिस्ता अमररिंह 1/3 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम मुर्तहन विला कब्जा को आराजी खसारा नम्बर 82 रकबा 0.06 है0 83 रकबा 0.09 है0 84 रकबा 0.07 है0 85 रकबा 0.08 है0 91 रकबा 0.05 है0 92 रकबा 0.05 है0 93 रकबा 0.09 है0 कुल कित्ता 7 रकबा 0.050 है0 लगान 5.81 रु0 पर वाके ग्राम चाचियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरागद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 37 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्से की आराजी पर मजाहमत व मदाखलत नही करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख...01.07.2016...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(बलवन्तरिंह लिग्री)
पीठारसीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	रुपया
<ol style="list-style-type: none"> वाद पत्र के लिये स्टाम्प शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प प्रदर्शों के लिये स्टाम्परुपयों पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तापील 	<p>शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय आदेशिका की तापील कमिश्नर की फीस</p>	
जोड़	जोड़	

प्रमाणित प्रति

बलवन्त परिवासे
कोटकासिम

